**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**मौखिक प्रश्‍न सं. \*2**

**सोमवार, 30 नवंबर, 2015/9 अग्रहायण, 1937 (शक)**

**वाणिज्यिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरणों का लगाया जाना**

**\***2. डॉ. के. पी. रामालिंगम:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली भारत के उन कई शहरों में से एक है जिसने उच्चतम न्यायालय के 1 अक्तूबर, 1997 को दिए गए आदेश के अनुसार वाणिज्यिक वाहनों हेतु गति नियंत्रक उपकरणों को अनिवार्य किए जाने को अब तक लागू नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रही है जिनमें उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुसार गति नियंत्रक उपकरण नहीं लगे हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री**

**(श्री नितिन जयराम गडकरी)**

**(क) से (घ):** एक विवरण सदन के पटल पर रखा हुआ है ।

**‘वाणिज्यिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरणों का लगाया जाना’के संबंध में डॉ. के. पी. रामालिंगम द्वारा 30.11.2015 को पूछे गए राज्‍य सभा मौखिक प्रश्‍न सं. \*2 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण...................................................................................................................................................**

**(क):** उच्‍चतम न्‍यायालय के दिनांक 20.11.1997 के आदेश के संदर्भ में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना का.आ. 939(अ), दिनांक 24 सितम्‍बर, 2001 जारी की थी जिसमें उल्‍लेख किया गया था कि राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में चलने वाले सभी परिवहन वाहनों में, तिपहिया और मोटर केब को छोड़कर, प्राधिकृत टैस्‍टिंग एजेंसियों द्वारा यथा अनुमोदित और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 126 में उल्‍लिखित स्‍पीड गवर्नर ऐसे तरीके से फिट किया जाना चाहिए जो समय-समय पर राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किया जाए । मंत्रालय की उक्‍त अधिसूचना के आधार पर, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार ने राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में चल रहे तिपहिया और मोटर केब को छोड़कर, शेष परिवहन वाहनों में एआईएस:018 मानकों की पुष्‍टि करने वाले गति नियंत्रण यंत्र लगाने के लिए 24 फरवरी, 2003 को अधिसूचना जारी की थी ।

**(ख)**: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना सं. सा.का.नि. 290(अ), दिनांक 15 अप्रैल, 2015 जारी की है जिसमें पूरे देश में समान रूप से कार्यान्‍वयन पर जोर दिया गया है ।

**(ग) और (घ):** जिन वाणिज्‍यिक वाहनों में स्‍पीड गवर्नर फिट नहीं होते हैं, उनके लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है, इसलिए इस संबंध में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।

\*\*\*\*\*\*